न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 79/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.09.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/79

मांगीलाल पिता जालु बैरवा, उम्र वयस्क, निवासी उसरोल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–सरकार जरिये पटवार हल्का उसरोल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 53/2021 निर्णय दिनांक 27.07.2021

उपस्थितिः–1– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.06.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवार हल्का उसरोल द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने फसल खरीफ सम्वत् 2078 के दौरान ग्राम उसरोल की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 है. किस्म सिवायचक रास्ता पर नाजायज कब्जा कर मक्का की फसल बो रखी है उक्त अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती कब्जाधारी मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध दो माह के सिविल कारावास, जुर्माना लगान 1/-रू. का 50 गुणा यानि 50/-रू. शास्ति एवं बेदखली करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का उसरोल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उसरोल की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 है. किस्म सिवायचक रास्ता भूमि पर मक्का की फसल बोकर अतिक्रमण करना बताकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बेदखली, जुर्माने एवं दो माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काफी पुराना उसके पिता के समय से चला आ रहा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध करने हेतु दस्तावेज पेश करने का अवसर चाहा परन्तु किसी कारणवश पेश नही कर सका। उक्त आराजीयात पर अपीलांट का काफी वर्षो से पुराना कब्जा रहा है एवं अपीलांट निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी खरीफ की फसल बो रखी है पूर्व में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई 91 एल. आर. एक्ट के तहत अतिक्रमी मानकर बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई है तथा न ही विवादित आराजीयात रास्ते के उपयोग में आ रही है बल्कि अपीलांट की आराजीयात से लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते को अवरोधित करने के गलत एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर बार-बार रास्ता रोकने एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर दो माह के सिविल कारावास, लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखली के आदेश पारित किए है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी पटवार हल्का द्वारा बताये जाने पर हुई जिससे दिनांक 24.08.2021 को निर्णय की नकल प्राप्त कर आवश्यक कानूनी राय लेकर नकल प्राप्ति दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है फिर भी विलम्ब हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.07.2021 निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम होकर रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी अवैध रूप से बार-बार कब्जा कर अतिक्रमण करने का आदि है जिससे पश्चात्‌वर्ती कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दो माह के सिविल कारावास, शास्ति एवं बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत्‌ है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्‌देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्‌नुसार धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम उसरोल की प्रश्नगत आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 हैक्टेयर पर उसके पिता के जमाने से काफी पुराना कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक्‌ से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम उसरोल की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि है जो कि नियमन योग्य नहीं है। साथ ही अपीलांट ने विवादित आराजीयात पर उसका पुराना कब्जा/पूर्वजों के समय से कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिधि में आता हो।

अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित आराजीयात रास्ते की भूमि नहीं होकर उसके खातेदारी की कृषि आराजीयात से लगी हुई है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ग्राम उसरोल की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 है. वर्तमान में किस्म रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर मक्का की फसल बो रखी है तथा भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत्‌ होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

किन्तु जहां तक अपीलांट का पश्चात्वर्ती कब्जा होने का प्रश्न है वहां अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अन्तर्गत अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस में पश्चात्वर्ती कब्जे का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है लिहाजा अपीलांट के विवादित आराजीयात पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का उसरोल की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम उसरोल की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.01 है. किस्म बिलानाम रास्ता भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए दो माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)